पत्र संख्या–1471/चौवालिस-2/1991

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य उपक्रमों के समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 1991

विषयः– निदेशक मण्डल की नियमित बैठकों का आयोजन/प्रबन्ध मण्डल को प्रभावी बनाना तथा निदेशकों का अलग–अलग एवं सम्यक रुप से दायित्व।

महोदय,

निदेशक मण्डल में निदेशकों के दायित्व, निदेशक मण्डल के नियमित एवं प्रभावी रूप से बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मण्डल को प्रभावी बनाने तथा निगम के उद्देश्यों/कार्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यवसायिक परिवेषों में नियमन तथा विधिक व्यवस्थाओं के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मण्डल की बैठकों में सांविधिक तथा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की दृष्टि से मार्गदर्शक विषय सूची सम्बन्धी शासनादेश संख्या–527/44-2-44/90, दिनांक 30 अप्रैल, 1990 निर्गत किया गया था।

2-उक्त शासनादेश के संलग्नक में निदेशक मण्डल को सुविचारित एवं प्रभावी निर्णय लेने में सहायता की दृष्टि से विचारणीय विषयों की सूची तथा उनके क्रम आदि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। हालांकि अधिकांश निगमों द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था को अनुपालित किया जा रहा है, परन्तु फिर भी कुछ विन्दुओं पर निदेशक मण्डल का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है इसके साथ–साथ निदेशक मण्डल को सांविधिक दृष्टि से प्रभावी बनाने हेतु कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत भी जो व्यवस्था है वह भी निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाना आवश्यक समझा गया है जिन्हें नीचे उद्धरित किया जा रहा है।

(1) निदेशक मण्डल की नियमित बैठकों का आयोजन सांविधिक एवं महत्वपूर्ण विषयों पर सम्यक चर्चा हेतु आवश्यक है जिससे न केवल निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने वरन् भौतिक एवं वित्तीय कार्यचालन में भी सुधार किया जा सकता है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल की बैठकें 90 दिन के अन्तर्गत होना आवश्यक है। किसी भी दशा में यह अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) निदेशक मण्डल से निगम के हित में जब–जब आवश्यक बैठकें आहूत कर तत्काल निर्णय लेने की अपेक्षा की गयी है। इसलिए कम्पनी अधिनियम में इन बैठकों के लिए पूर्व सूचना की अवधि निर्धारित नहीं है। परन्तु यदि यह बैठकें काफी अन्तराल के बाद आयोजित होती हैं तो एक ओर तो कार्यसूची लम्बी हो जाती है, जिससे समुचित चर्चा एवं निर्णय नहीं हो पाते दूसरी ओर निर्णयों में विलम्ब भी होता है। अतः निदेशक मण्डल की बैठकों की बरम्बारतः (फ्रीयूकेंसी) निगम की कार्य–प्रणाली के अनुसार रखना उचित होगा तथा यथासम्भव विषय सूची इतनी बड़ी हो कि बैठक में सभी विषयों पर सम्यक विचार–विमर्श हो सके। तदनुसार ही पूर्वसूचना की अवधि रखी जाय जिससे निदेशकगण विचाराधीन विषयों पर सम्यक अध्ययन कर अपना मंतव्य प्रस्तुत कर सकें।

(3) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक वास्तव में अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं तथा नामित निदेशकों को सम्बन्धित निदेशक मण्डल में अपनी भूमिका के प्रति विशेष उत्तर दायित्य वहन करने की अपेक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में उचित होगा कि मूल कम्पनी अपने नामित अधिकारियों को जो कि उसकी सहायक/संयुक्त क्षेत्र पोषित कम्पनियों में निदेशक नामित किये गये हैं, को समुचित दिशा निर्देश दें तथा उनका समय–समय पर आवश्यक (फीडबैक) प्राप्त करें।

3-निदेशक व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से कम्पनी अधिनियम के विविध उपबन्धों के पालन के लिए उत्तरदायी है। इनकी अवहेलना, कहीं–कहीं अर्थदण्ड तथा विशिष्ट मामलों में कारावास के दण्ड को भी आकर्षित करती है। प्रदेश में कदाचित ही कोई ऐसा उपक्रम हो जिसने अर्थदण्ड न दिया हो। यह स्थिति निश्चय ही वांछनीय नहीं है। अतएव इनके उल्लंघन से बचने के लिए दृष्टांत स्वरूप प्रमुख प्राविधानों को उद्धृत कर संलग्न किया जा रहा है जिनमें प्रत्येक निदेशक तथा निदेशक मण्डल का सम्मिलित रूप से उत्तरदायित्व बनता है। कुछ प्रमुख प्राविधान जिनमें अर्थदण्ड एवं काराबास आकर्षित होते हैं निम्न प्रकार हैं:–

(1) प्रत्येक निदेशक को यह घोषणा करती चाहिए कि क्या उपक्रम की किसी संविदा में उसकी कोई रुचि है। रुचि की दशा में इस प्रसंग के निर्णय में उसे भाग नहीं लेना चाहिए।

(2) उपक्रम के प्रास्पेक्टस, अनुबन्ध अथवा संविदा में किसी प्रकार का दोषपूर्ण उल्लेख नहीं करना चाहिए।

(3) राज्य के प्रति सांविधिक दायित्व का उलंघन।

4-मुझे आशा है कि कम्पनी अधिनियम के विविध प्राविधानों का पूर्ण परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रत्येक निदेशक तथा निदेशक मण्डल व्यक्तिगत तथा सम्मिलित रूप से इनकी ओर ध्यान देंगे।

5- आपसे यह भी अनुरोध है कि इसकी एक प्रति सभी निदेशकों को भी सुलभ करा दी जाय, जिससे सांविधिक तथा महत्वपूर्ण व्यवस्था के परिपालन में सभी की भूमिका सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

संख्या–1471/चौवालिस-2/1991 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1।
3- महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन को 10 प्रतियों के साथ।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण पालीवाल
विशेषसचिव।

कम्पनी अधिनियम के महत्वपूर्ण उलंघन जिनके उपबन्ध के लिए निदेशक उत्तरदायी होते हैं:–

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराएं	सारांश में आशय
62	Statements in Prospectus (Civil Liability)
63	Statements in Prospectus (Criminal Liability)
68	Fraudulent inducing a person to invent money
69, 70, 71	Irregular Allotment of shares
161	Annual Return
202	Management of Companies by insolvents
207	Failure to distribute Dividend with in 42 days
209 & 209 D	Maintenance of proper books of account & keeping them open for inspection & maintenance of cost accounting records in certain industries
210	Laying of Annual Accounts and Balance Sheets at every Annual General Meeting
211	Preparation of P & L Account and Balance Sheet as per statute.
217	Boards report to be attached to every Balance Sheet and P & L Account/laid before a company.
279	Directors not to hold more than 20 Directorship.
279 & 299	Disclosure of interest and obtaining sanction of Board in the case of interested directors.
300	Voting in the Board proceedings by interested directors.
308	Disclosure of the shareholding in other corporate Board by directors.
198, 308	Remuneration not to receive in contravention of this section.
319, 320	Receipt of payment by directors for loss of office in conection with the transfer of shares.
393	Disclosure as to compromise or arrangements with creditors and members.
407	Directors to abide by order of court for termination of modification of certain arrangements.
488	Correct declaration of solvency position of company and voluntary liquidation.

No. BPE/1 (1)/90-Fin.

Ministry of Industry

Department of Public Enterprises

Block No. 14CGo Complex Lodi Road,
New Delhi, The 26th January 1992.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Amendment to the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

In the last Session of Parliament, a Bill for amending the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 was introduced in order to include within the purview of the Act all Government Companies defined under Section 617 of the Companies Act, 1956. The Bill was passed in both the Houses of Parliament and has received the Presidential assent. As a consequence of the Amendment Act, it becomes mandatory for all sick and potentially sick industrial companies in the public sector to make references to the Board for Industrial and

Financial Reconstruction (BIFR) within the prescribed time limit. It is, therefore requested that all the public sector enterprises functioning under your administratve control may be advised to act accdordingly as per the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and make reference to the BIFR under the prescribed time limit. For this purpose, I enclose a note on the modalities for making references to BIFR and procedures adopted by BIFR. In case of Centeal PSEs making such reference to BIFR, it is requested that a copy may also be sent to this Department for record.

s/d

(SURESH KUMAR)

Secretary to the Government of India

To,

1. Secretaries to Govt. of India.
2. Chief Secretaries of States Governments/ Union Territories.
3. Chief Executives of Central PSEs.